न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 40/24 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2024/109

श्री कैलाश चन्द्र बनाम श्री राज. राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 27.05.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर भू अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में साबिक आराजी नम्बर 2266 शनं. 2267 रकबा 0.07 बिस्वा किस्म बीड द्वि 0.03 बिस्वा एवं रास्ता 0.04 बिसवा भूमि स्थित रही हैं, जो प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के नाम पर खातेदारी से अंकित है। यह कि नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक आराजी नम्बर के नवीन आराजी नम्बर 1177 रकबा 0.0800 है. कायम किये गये जिसमें नवीन सेटलमेंट के बाद साबिक आराजी नम्बर 2266 शनं. 2267 रकबा 0.07 बिस्वा में किस्म बीड द्वि 0.03 बिस्वा एवं रास्ता 0.04 बिस्वा के स्थान पर नवीन सेटलमेंट में आराजी नम्बर 1177 किता 1 रकबा 0.0800 हैक्टयर किस्म रास्ता अंकित कर दी गई हैं साथ ही साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले नवीन नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जिसे साबिक किस्म व साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भीण्डर की साबिक जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 18 पर खसरा न. 2266 श.न. 2267 रकबा 0.07 बीघा किस्म (बीड द्वि 0–03, रास्ता 0–04) भूमि दर्ज होकर खातेदार प्रतिमा पत्नि शिवशक्ति व्यास निवासी भीण्डर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड था। यह कि ग्राम भीण्डर के साबिक हाल मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.08 किस्म रास्ता दर्ज किया गया जो की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2078–81 में खाता संख्या 30 में खातेदार कैलाशचन्द्र चौबीसा पुत्र दयाशंकर चौबीसा 1100/8139 जाति ब्राह्मण, प्रतिमा पत्नि शिवशक्ति व्यास 54[illegible]/81[illegible] जाति ब्राह्मण, भगवतीलाल सुथार पुत्र वंशीलाल सुथार 1628/8139 जाति सुथार [illegible]. देह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। यह कि साबिक व हाल रिकार्ड अनुसार [illegible] करने पर साबिक [illegible] न. 2266 श.न. 2267 रकबा 0–07 बीघा किस्म (बीड द्वि 0–03, रास्ता 0.–04) भूमि का नक्शे व जमाबंदी अनुसार मौके का मिलान सही पाया गया किन्तु हाल खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.08 किस्म रास्ता का नवीन नक्शे व जमाबंदी अनुसार ~~मौके~~ का मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:40:15 IST
Reason: SelfAttested

सही नही पाया गया। साविक के मुकाबले हाल खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.08 सम्पूर्ण किस्म रास्ता दर्ज किया गया है जो की मौके पर लगभग 0.04 है. रास्ता तथा 0.04 है. बीड रूप मे स्थित है तथा साथ ही साविक के मुकाबले भी गलत दर्ज किया गया हैं। यह कि उक्त खसरा नम्बर के साविक व हाल नक्शों का अवलोकन करने पर पाया कि साविक खसरा न. 2266 श.न. 2267 रकबा 0–07 बीघा एवं हाल खसरा न. 1177 रकबा 0.08 है. का नक्शा एक समान ना होकर साविक के मुकाबले गलत तरमीम किया गया है तथा हाल खसरा न. 1177 रकबा 0.08 के अन्दर बिलानाम खसरा न. 2876 रकबा 0.30 किस्म रास्ता की तरमीम को बढाकर दर्ज हो गयी जिसका मौके अनुसार भी मिलान नहीं हो पा रहा है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा साविक व हाल रिकार्ड तथा मौका निरीक्षण से बताया कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2078–81 में खाता संख्या 30 में खसरा न. 1177 रकबा 0.08 किस्म रास्ता को संशोधित किया जाकर किस्म (बीड द्वि 0. 03, रास्ता 0.04) परिवर्तन किये जाने तथा हाल खसरा न. 1177 रकबा 0.08 की तरमीम संलग्न प्रस्तावित नक्शे अनुसार शुद्ध किया जाना अपेक्षित बताया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी नम्बर के साविक आराजी नम्बर 2266 शनं. 2267 रकबा 0–07 बिस्वा भूमि की किस्म (बीड द्वि. 0–03 बिस्वा व रास्ता 0–04 बिस्वा) थी जिसके नवीन सेंटलमेंट के बाद नये आराजी नम्बर 1177 रकबा 0.080 है. भूमि की किस्म त्रुटिपूर्ण कर रास्ता अंकित कर दी साथ ही नवीन नक्शा ट्रेस की तरमीम भी साविक के मुकाबले गलत तरमीम कर दी जिसे पुनः साविक किस्म व साविक नक्शा ट्रेस अनुसार दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा पेश रिपोर्ट के अध्ययन से पाया कि साविक खसरा न. 2266 श.न. 2267 रकबा 0–07 बीघा किस्म (बीड द्वि 0–03, रास्ता 0.–04) भूमि का नक्शे व जमाबंदी अनुसार मौके का मिलान सही पाया गया किन्तु हाल खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.08 किस्म रास्ता का नवीन नक्शे व जमाबंदी अनुसार मौके का मिलान सही नहीं पाया गया। साविक के मुकाबले हाल खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.08 सम्पूर्ण किस्म रास्ता दर्ज किया गया है जो की मौके पर लगभग 0.04 है. रास्ता तथा 0.04 है. बीड रूप मे स्थित है तथा साथ ही साविक के मुकाबले भी गलत दर्ज किया गया हैं। साविक खसरा न. 2266 श.न. 2267 रकबा 0–07 बीघा एवं हाल खसरा न. 1177 रकबा 0.08 है. का नक्शा एक समान ना होकर साविक के मुकाबले गलत तरमीम किया गया है तथा हाल खसरा न. 1177 रकबा 0.08 के अन्दर बिलानाम खसरा न. 2876 रकबा 0.30 किस्म रास्ता की तरमीम को बढाकर दर्ज हो गयी जिसका मौके अनुसार भी मिलान। नहीं हो पा रहा है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी नम्बर 1177 रकबा 0.08 किस्म रास्ता को संशोधित कर किस्म(बीड द्वि. 0.04 व रास्ता 0.[illegible]) किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:40.15 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से व दस्तावेज से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर के मुकाबले नवीन आराजी नम्बर की किस्म में गलत अंकन हुआ है साथ ही नक्शा ट्रेस की तरमीम में भी भिन्नता पाई है जिसे न्यायहित में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्ार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर भू. अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी सम्वत 2078-81 की खाता संख्या 30 की आराजी न. 1177 रकबा 0.08 किस्म रास्ता को संशोधित किया जाकर किस्म (वीड द्वि 0.04 रास्ता 0.04) किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:40:15 IST
Reason: SelfAttested